प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

samanyagyan.com/hindi/gk-pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Information in Hindi)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) क्या है?

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत की युवा पीढ़ी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2015 में की गई थी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:

PMKVY स्कीम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य निम्न सूची में दर्शाये गये हैं-

योजना के बिंदु	महत्त्वपूर्ण तथ्य
योजना का नाम	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
योजना का क्षेत्र	कौशल विकास
योजना के शुभारंभ की तारीख	2015
योजना किसने शुरू की	श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी
प्रबंधक मंत्रालय	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य: (Aim of PMKVY Scheme)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी युवाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें उद्योगों से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार इस स्कीम के जरिये कम पढ़े लिखे या 10वीं, 12वीं कक्षा ड्राप आउट (बीच में स्कूल छोड़ने वाले) युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। इस योजना के सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस स्कीम में युवाओं को लोन प्राप्त करने की भी सुविधा है, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। यह योजना 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' (National Skill Development Corporation-NSDC) के माध्यम से तथा नवगठित 'कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय' (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) द्वारा चलाई जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया था।

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना की मुख्य विशेषताएँ: (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Features)

इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

- PMKVY योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कराई जायेगी। अलग-अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होगी। अतः किसी भी तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग लेने से पहले योग्यता को ठीक प्रकार से जांचा जायेगा।
- सभी प्रशिक्षण प्रोग्राम का निर्वाहन सेक्टर स्किल कौंसिल यानि एसएससी द्वारा किया जायेगा। इस कोंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षित करने वाले सभी लोग एनओएस और क्यूपीएस के नियमों का पालन करेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को भारत सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाएँ जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरी दी जायेगी।
- इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण ख़त्म हो जाने पर पुरस्कार (Reward) के रूप में 8000 रूपए और कोर्स समाप्ति का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। ये प्रमाण पत्र सभी जगहों पर मान्य होगा, किन्तु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में ली जाने वाली परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।
- भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया हैं। सचिन देश की युवा पीढ़ी के आदर्श हैं। अतः युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें चुना गया है।

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना में नामांकन के लिए आवश्यक योग्यता: (PMKVY Scheme Eligibility Criteria)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पात्रता के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्नलिखित है:-

- अगर कोई भी युवा जो भारत का नागरिक है, वह पीएमकेवीवाई योजना का लाभ उठा सकता है। अतः भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इसका योजना लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को योजना में से किसी एक स्कीम के अंतर्गत 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है। आवेदक को अपने द्वारा चयनित तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है।
- जो युवा नौकरी करने के योग्य हों वो इस कौशल विकास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मान लीजिए आपने 10वीं, 12 वीं या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद योजना के तहत सरकार द्वारा तय किया गया पुरस्कार आवेदक को दे दिया जाएगा।सारा रिवॉर्ड एक बार में ही दे दिया जाएगा।

PMKVY योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज: (Important Document for PMKVY Scheme)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको नौकरी या ट्रेनिंग में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:-

- आधार कार्ड।
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- आवेदक के परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (आवेदन): (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Apply Online):

पीएमकेवीवाई योजना में पंजीकरण के कई नियम है, जोकि आप PMKVY Guidelines में भी जान सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन (रजिस्ट्रेशन) करने के लिए आपको पीएमकेवीवाई की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह ध्यान में रखें कि आप जिस भी ट्रेनिंग में कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, बाद में आप उसे बदल नहीं हो सकते है। आइये जानते है कि आप किस प्रकार पीएमकेवीवाई योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है:-

- इसके लिए सबसे पहले आपको कौशल विकास योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://pmkvyofficial.org/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करते समय अपनी पूरी जानकारी जैसे अपना नाम, पता और ईमेल आदि सभी प्रकार की जानकारी भरनी होती है।
- इसके बाद आवेदक जिस तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहता है उसका चयन करना होगा। इनमें कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्रॉफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 35 से 40 तकनीकी क्षेत्र दिये गए हैं।
- सारी जानकारी ठीक से भरने के बाद आपको प्रशिक्षण केंद्र (ट्रेनिंग सेंटर) का चयन करना होता है। ट्रनिंग सेंटर चुनने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर दे।

PMKVY योजना का वित्तपोषण सहायता (फंडिंग सपोर्ट):

सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपए का फण्ड एलोकेट किया है। इस फण्ड की सहायता से 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस फंड का इस्तेमाल जिन विभिन्न क्षेत्रों में अब तक किया गया है, उसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है:-

- पहले सीखने वाले युवाओं की पहचान करके उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- लगभग 67 करोड़ रुपए योजना को संचालित और युवाओं को इस डेवलपमेंट के तहत जागरूक करने के लिए किया जाएगा।
- परामर्श सहायता के लिए योजना के तहत 67 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। परामर्श सहायता कार्यक्रम के तहत उन विद्यार्थी की मदद की जाएगी, जिन्होंने अपना कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और नौकरी की तलाश में हैं।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

- इस तरह से बाक़ी फण्ड का प्रयोग भी सरकार आने वाले समय में आवश्यक युवा कल्याणकारी क्षेत्रों में करेगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ: (Benefits of PMKVY Scheme)

भारत सरकार देश में बेरोजगारी को समाप्त करे देश को निर्माता के तौर पर वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है औए यह तभी संभव है जब यहाँ पर निर्माण कार्य करने जैसी प्रतिभा मौजूद हो। सरकार ने साल 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया था। इसके लिये सरकार ने 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' का गठन किया है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- इस योजना के तहत आवेदक कोई कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है जिससे कई बेरोजगार और अप्रशिक्षित युवाओं को मुफ्त में विभिन्न तरह के कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।
- प्रशिक्षण पूरे हो जाने पर इन्हें सरकार द्वारा बतौर पुरस्कार राशि करीब 8000 रूपये की आर्थिक सहायता और साथ ही प्रशिक्षित क्षेत्र में सरकार द्वारा नौकरी दी जायेगी।
- इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवा को कोर्स पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट भारत के सभी राज्यों में मान्य होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को एक्सपर्ट की मदद प्राप्त होगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।
- इस स्कीम में प्रशिक्षण की न्यूनतम समय सीमा 3 महीने औरअधिकतम समय सीमा 1 साल है।
- इस योजना की सहायता से कौशल केंद्र की स्थापना की जायेगी, जो सरकार के विभिन्न युवा कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में सरकार की मदद करेंगे।
- प्रधानमंत्री कौशल योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है।
- इसकी सहायता से सरकार को अन्य योजनाओं को सफ़ल बनाने के लिए कुशल युवाओं का सहयोग प्राप्त होगा। जितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें इन योजनाओं में काम पर लगाया जाएगा।

ऐसे खोले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर:

आइये जाने PMKVY योजना का सेंटर लेने के लिए क्या-क्या चाहिए, उसके पूरे मानदंड (Norms) क्या-2 होते है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर खोलने के लिए आपको नीचे दी गई तीनों शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:-

- सबसे पहले आपके पास 1500 Sq.Ft. से उपर का स्थान होना चाहिए, जिसमे 30 बच्चो के बैठने के लिए कम से कम एक क्लास रुम, एक लैब, एक रिसेप्शन,एक काउंसलर रुम, एक प्लेसमेंट रुम, एक सॉफ्ट स्किल रुम तथा महिला पुरुष के अलग-अलग टॉयलेट और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- आप जिस भी क्षेत्र में प्रशिक्षण देना चाहते है, उससे सम्बंधित सभी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।
- आपके पास प्रति क्षेत्र के हिसाब से कम से कम 2 प्रशिक्षक (ट्रेनर) होने चाहिए, एक क्लास के लिए और एक लैब के लिए।

- नियुक्ति कार्यकारी (प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव) एवं सेंटर के अन्य स्टाफ का होना भी जरुरी है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र: (PMKVY Scheme Training Centers)

कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश के बहुत से निजी प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपना पंजीकरण कराया है। योजना से जुड़े सभी प्रशिक्षण केंद्र हैं, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सारी सुविधाएँ और कुछ विशेष कार्य क्षेत्र, जिसके लिए संस्था को प्रशिक्षण हेतु चुना गया है, यहाँ पर दी जायेंगी। इस योजना का प्रसार पूरे भारत में है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देश के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है। Website: http://www.pmkvyofficial.org/Training-Centre.aspx

PMKVY योजना से सम्बंधित टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर: (PMKVY Scheme Helpline Numbers)

अगर आप इस योजना से जुडी कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, तो आप नीचे दिए गए टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर पर भी कॉल कर सकते हैं:-

- Student Helpline: 8800055555
- SMART Helpline: 18001239626
- NSDC TP Helpline: 9289200333